

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,  
राज्य योजना आयोग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग—१

देहरादून, दिनांक: १३ जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-1617/तीन-1(10) रा०यो०आ/2016 दिनांक 02.12.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आय-व्ययक 2016-17 अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखा शीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-17 किराया उपशुल्क मानक मद में संलग्न बी०एम०-०९(भाग-101) के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखाशीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साप्टवेयर का क्रय मानक मद में ₹० 200 हजार (₹० दो लाख मात्र), 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद में ₹० 200 हजार (₹० दो लाख मात्र) एवं 07-मानदेय मद में संलग्न बी०एम०-०९ के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए मद संख्या-06 अन्य भत्ते मद में ₹० 200 हजार (₹० दो लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि ₹० 600 हजार (₹० छः लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं भितव्यता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी०एम०-१३ पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय एवं 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साप्टवेयर का क्रय, 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद संख्या-06 अन्य भत्ते मानक मद के नामे डाला जायेगा।
6. ऑनलाईन बजट आवंटन/पुनर्विनियोग प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशा० सं0-220NP/XXVII(5). दिनांक 11.01.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)  
अपर सचिव।

संख्या: २० (१) / xxvi / एक(५) / 2016 तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
- 2— निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 3— मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 4— वित्त अनुभाग—५ उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6— गार्ड फाईल

आज्ञा से,



(प्रताप सिंह शाही)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)  
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 007  
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - One(5)/2016

अलोटमेट आईडी - R1612070242  
दिनांक - 20-Dec-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखानियोगक (1)	मानक भवत्वार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमतित व्यय (3)	वर्षों के बाद स्वत्त्वात् समयोजित अनुराशी (4)	लेखानियोगक जिसमें अनुराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्वत्त्वात् -5 की जुल अनुराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्वत्त्वात् -1 से जुल अनुराशी	विविधति
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ				3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
00					00			
092	अन्य कार्यालय				092 अन्य कार्यालय			
03	नियोजन अधिकान				03 नियोजन अधिकान			
00	नियोजन अधिकान				00 नियोजन अधिकान			
					(Non Plan Voted)			
1	07 - मानदेश	600000	0	400000	200000	06 - अन्य भावे	200000	1800000 400000
2	17 - किराया, उपशुल्क और कार-	500000	0	100000	400000	19 - विचारान्, वित्ती और विव्यापान व	200000	350000 100000
	योग					46 - कम्प्यूटर फाइलेपर्यासाप्रयोगका	200000	300000
						विविधति		
						विविधति		

प्राविधिक सेवाएँ किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनेजल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेप्टर 23-लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी